1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी R-2966-I/14

सोनू ,आयु–12 वर्ष, पुत्र श्री मुन्नालाल, जाति चमार, नावालिग सरपरस्त मॉ कलाबाई पत्नी मुन्नालाल, जाति चमार निवासी– ग्राम रतनखेडी तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा म0प्र0

श्री आर० बी० शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 6-9-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1 बैजन्तीबाई, आयु–26 वर्ष, वेवा भुजवल,जाति अहिरवार, निवासी –ग्राम रतनखेडी

2. चुटकी, आयु– 4 वर्ष, पुत्री स्व. श्री भुजवल

3. राधिका, आयु–2 वर्ष, पुत्री स्व.श्री भुजवल

दोनो नावलिग सरपरस्त मॉ बैजन्तीबाई वेवा भुजवल, जाति–आहिरवार, निवासी– ग्राम रतनखेडी तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा म0प्र0

..............रेस्पोडेन्टस्

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 14.08.2014 न्यायालय श्री अनुविभागीय अधिकारी

2014 Sept - 2

XXIX(a)-BR(H)-11

(285)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2966-एक/14 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	